मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

कमांक:एफ-390/2007/नियम/चार भोपाल, दिनांक 22 मई, 2008

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त जिलाध्यक्ष
मध्यप्रदेश

विषय:- तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के शासकीय कर्मचारियों द्वारा अपनी विधिक पुत्री की व्यावसायिक शिक्षा हेतु बैंक से लिये गये ऋण पर ब्याज अनुदान उपलब्ध कराने बाबत्।

संदर्भ:- इस विभाग का ज्ञाप क्र. एफ.28/11/2005/बजट-6/चार दिनांक 04.02.2005।

=0=

उपरोक्त संदर्भित ज्ञाप द्वारा जारी निर्देशों के तारतम्य में राज्य शासन, एतद् द्वारा, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के शासकीय कर्मचारियों द्वारा अपनी विधिक पुत्री की व्यावसायिक शिक्षा हेतु बैंक से लिये गये ऋण पर ब्याज अनुदान के भुगतान हेतु निम्नानुसार निर्देश प्रसारित करती है:-

1. **योजना का नाम:-**

तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के शासकीय कर्मचारी द्वारा अपनी विधिक पुत्री की व्यावसायिक शिक्षा हेतु बैंक से लिये गये ऋण पर ब्याज अनुदान योजना

2. **योजना का उद्देश्य:-**

2.1 इस योजना का मुख्य उद्देश्य शासकीय सेवा में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी (भर्ती नियम में वर्गीकृत श्रेणी अनुसार) की विधिक

पुत्री द्वारा व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त करने हेतु कम ब्याज दर पर बैंक से ऋण उपलब्ध कराना है।

2.2 इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु राज्य शासन द्वारा दिनांक 1 अप्रेल 2004 के पश्चात बैंक द्वारा ऐसे कर्मचारी की विधिक पुत्री की व्यावसायिक शिक्षा हेतु स्वीकृत एवं निर्गमित किये गये ऋण पर 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान दिया जायेगा।

3. **लाभार्थी:-**

3.1 तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के ऐसे कर्मचारी, जो कि नियमित सेवा के कर्मचारी अथवा कार्यभारित एवं आकस्मिकता से वेतन पाने वाले (work charged and contingency) शासकीय कर्मचारी हो।

3.2 ऐसे कर्मचारी द्वारा अपनी विधिक पुत्री की व्यावसायिक शिक्षा हेतु बैंक से ऋण स्वीकृत करवाकर आहरित किया हो।

3.3 ऋण का उपयोग व्यावसायिक शिक्षा के लिये किया हो।

3.4 प्रदेश में कार्यरत किसी अनुसूचित बैंक (scheduled bank) द्वारा व्यावसायिक शिक्षा हेतु ऋण स्वीकृत कर निर्गमित किया गया हो।

3.5 बैंक द्वारा ऐसे कर्मचारी की विधिक पुत्री को ऋणी तथा कर्मचारी को सह-ऋणी (co-borrower) बनाया गया हो।

3.6 ऋणी के माता अथवा पिता में से कोई भी एक का तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी होना आवश्यक रहेगा। यदि किसी ऋणी के माता एवं पिता दोनों ही शासकीय सेवक है तथा उनमें से एक तृतीय अथवा चतुर्थ श्रेणी तथा दूसरा प्रथम अथवा द्वितीय श्रेणी का है तो यह आवश्यक होगा कि तृतीय अथवा चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी ऐसे ऋणी के साथ सह-ऋणी (co-borrower) हो।

3.7 किसी भी ऋणी को बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत करने की दिनांक के पश्चात ऐसे तृतीय अथवा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी का प्रथम अथवा द्वितीय श्रेणी के शासकीय सेवक के रूप में पदोन्नती अथवा चयन हो

जाने पर भी ऐसे ऋण खाते के विरूद्ध ब्याज अनुदान की पात्रता निरन्तर बनी रहेगी।

4. **व्यावसायिक शिक्षा:-**

4.1 व्यावसायिक शिक्षा से तात्पर्य किसी भी प्रकार की चिकित्सा शिक्षा, तकनीकी शिक्षा अथवा अन्य उच्च शिक्षा, जिस हेतु बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत कर निर्गमित किया हो।

5. **कियान्वयन करने वाले बैंक:-**

5.1 राज्य में कार्यरत सभी अनुसूचित बैंक (scheduled bank), जिसमें व्यावसायिक बैंक, निजी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक आदि।

6. **ब्याज अनुदान की गणना हेतु अवधि का निर्धारण:-**

6.1 ब्याज अनुदान की अवधि की गणना हेतु ऋण आहरण की दिनांक से शिक्षा समाप्त होने तक की अवधि एवं शिक्षा अवधि के उपरान्त की मोरेटोरियम अवधि (moratorium period), जिसे बैंक द्वारा मान्य किया गया हो।

6.2 बैंक द्वारा ऐसे ऋणी को व्यावसायिक शिक्षा हेतु निर्गमित ऋण के विरूद्ध निर्धारित प्रथम किश्त की देय तिथि दिनांक तक ही ब्याज अनुदान की पात्रता होगी। उक्त तिथि के पश्चात, ऐसे ऋण पर किसी प्रकार का ब्याज अनुदान देय नही होगा।

6.3 पात्र कर्मचारी अथवा उसकी विधिक पुत्री द्वारा शिक्षा पूर्ण करने के तत्काल पश्चात् ऋण की किश्त के भुगतान हेतु बैंक द्वारा निर्धारित प्रथम किश्त के भुगतान की दिनांक के पूर्व ही भुगतान प्रारम्भ कर दिया जाता है तो ब्याज अनुदान की पात्रता सिर्फ किश्त भुगतान प्रारम्भ करने की दिनांक तक के लिये ही होगी। तत्पश्चात् किसी प्रकार का ब्याज अनुदान देय नहीं होगा।

7. **ब्याज अनुदान की राशि के भुगतान की व्यवस्था:-**

7.1 शासकीय कर्मचारियों की विधिक पुत्री की व्यावसायिक शिक्षा हेतु लिये गये ऋण पर ब्याज अनुदान योजना के कियान्वयन का दायित्व संचालक, संस्थागत वित्त का रहेगा। राज्य शासन द्वारा प्रत्येक वर्ष के बजट में उक्त मद हेतु आवश्यक बजटीय प्रावधान वित्त विभाग के बजट में किया जायेगा और संचालक, संस्थागत वित्त ऐसी राशि के आहरण हेतु आहरण एवं वितरण अधिकारी का कार्य करेगें।

7.2 बैंक द्वारा पात्र शासकीय सेवक को अपनी विधिक पुत्री की व्यावसायिक शिक्षा हेतु शैक्षणिक सत्र वर्ष 2004-05 एवं तत्पश्चात की अवधि के दौरान स्वीकृत एवं निर्गमित ऋण पर प्रतिवर्ष देय ब्याज की कुल राशि के आधार पर 3 प्रतिशत की दर से ब्याज की राशि का अनुदान सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, आंचलिक कार्यालय, भोपाल (संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति) के माध्यम से बैंकों को उपलब्ध कराई जायेगी। शासन से अनुदान की राशि प्राप्त होने पर ऐसे अनुदान को बैंक द्वारा संबंधित पात्र ऋणी के ऋण खाते में समायोजित किया जायेगा।

8. <u>ब्याज अनुदान के दावे हेतु प्रकिया:-</u>

8.1 सभी पात्र बैंकों द्वारा वित्तीय वर्ष हेतु आंकलित/वसूल किये गये वास्तवित ब्याज के आधार पर 3 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान का आंकलन किया जाकर सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, आंचलिक कार्यालय, भोपाल (संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति) को अपने दावे निर्धारित प्रपत्र परिशिष्ट-1 में प्रेषित किये जायेगें।

8.2 सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, आंचलिक कार्यालय, भोपाल (संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति) द्वारा विभिन्न बैंकों से प्राप्त ब्याज अनुदान के दावे संकलित किये जाकर राशि की मांग संचालनालय संस्थागत वित्त को भेजी जायेगी तथा संचालनालय संस्थागत वित्त द्वारा ब्याज अनुदान के भुगतान हेतु राशि सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, आंचलिक कार्यालय, भोपाल (संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति) को उपलब्ध कराई जायेगी।

8.3 संबंधित बैंक द्वारा राशि निर्गमन के पश्चात अधिकतम 7 कार्य दिवस में उक्त ब्याज अनुदान की राशि संबंधित ऋणी के ऋण खाते में समायोजित की जायेगी।

9. **योजना के कियान्वयन हेतु बैंकों से समन्वयः-**

9.1 पात्र शासकीय कर्मचारियों की विधिक पुत्री की व्यावसायिक शिक्षा हेतु लिये गये ऋण पर ब्याज अनुदान योजना के कियान्वयन हेतु बैंकों से राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के माध्यम से समन्वय का दायित्व संचालक, संस्थागत वित्त का रहेगा।

10. **योजना में परिवर्तनः-**

10.1 राज्य सरकार द्वारा इस योजना में बगैर कोई पूर्व सूचना के परिवर्तन/संशोधन किया जा सकेगा और इस योजना को बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त/बंद किया जा सकेगा। योजना को बंद करने अथवा समाप्त करने वाले वित्तीय वर्ष तक लिये गये ऋण हेतु ही इस योजना अंतर्गत ब्याज अनुदान के भुगतान की पात्रता होगी।

11. **निर्वचनः-**

11.1 इन निर्देशों में किसी भी प्रकार के निर्वचन के लिये प्रकरण वित्त विभाग को भेजा जावेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(ए.पी.श्रीवास्तव)
सचिव
म.प्र.शासन, वित्त विभाग

पृ.कमांकःएफ-370/2007/नियम/चार भोपाल, दिनांक 22 मई 2008

प्रतिलिपिः-

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राज भवन, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. विधान सभा, भोपाल।
3. निबंधक, उच्च न्यायालय, म.प्र., जबलपुर।
4. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल।

5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इन्दौर।
6. सचिव, लोक आयुक्त आयोग, इन्दौर।
7. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, म.प्र. शासन, भोपाल।
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म.प्र., भोपाल।
9. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, म.प्र. भोपाल।
10. रजिस्ट्रार, म.प्र. राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, भोपाल/जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर।
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, म.प्र., भोपाल/इन्दौर/ग्वालियर/जबलपुर।
12. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी/आडिट-1/2, म.प्र., ग्वालियर/भोपाल।
13. अध्यक्ष, व्यवसायिक परीक्षा मण्डल/माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र. भोपाल।
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल।
15. आयुक्त, जन सम्पर्क संचालनालय, म.प्र. भोपाल।
16. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल।
17. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, मंत्रालय, भोपाल।
18. अध्यक्ष, म.प्र. राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, कक्ष्क्ष 84, मंत्रालय, भोपाल।
19. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघों।
20. क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, भोपाल।
21. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, म.प्र., भोपाल।
22. समस्त राज्य स्तरीय प्रमुख, वाणिज्यिक बैंक, भोपाल।
23. आंचलिक प्रबंधक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, अरेरा हिल्स, भोपाल।
24 अध्यक्ष, समस्त क्षेत्रीय ग्रामण बैंक, मध्यप्रदेश।
25. प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल।
26. समस्त जिला सहकारी बैंक, मध्यप्रदेश।
27. समस्त अग्रणी जिला प्रबंधक, मध्य प्रदेश।
28. गार्ड फाईल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(डी0 के0 सक्सेना)
अवर सचिव
म.प्र.शासन, वित्त विभाग

शाकेमुभो—307—असविविभो—24-5-08—800.